भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *269
13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

झोलाछाप/फर्जी चिकित्सक

***269. श्री ईश्वरस्वामी के.:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के कई हिस्सों में अभी भी हजारों झोलाछाप/फर्जी चिकित्सक अवैध रूप से चिकित्सा प्रैक्टिस कर रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन झोलाछाप चिकित्सकों ने चिकित्सा प्रैक्टिस करने के लिए कोई व्यवसायिक डिग्री/डिप्लोमा हासिल किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन झोलाछाप चिकित्सकों पर नज़र रखने और उन्हें दंडित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

13 दिसंबर, 2024 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.269 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) अधिनियम, 2019 की धारा 34 के अनुसार, राज्य/राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से इतर किसी व्यक्ति को किसी योग्य मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस करने से निषिद्ध किया गया है। कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए एक वर्ष तक के कारावास या 5 लाख रु. तक के जुर्माने या दोनों की सजा भी इस अधिनियम के तहत विहित की गई है।

एनएमसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सभी राज्य चिकित्सा परिषदों और चिकित्सा शिक्षा के प्रभारियों से अनुरोध किया गया है कि माननीय न्यायालय या किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति करें ताकि नीम हकीमों के विरूद्ध कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

****